

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नजी क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण से संबंधित कानून पर रोक

प्रलिस के लयि:

[अनुच्छेद 14](#), [अनुच्छेद 19](#), [अनुच्छेद 16](#), [अनुच्छेद 371\(d\)](#), [अनुच्छेद 15](#), भारत का सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लयि:

भारत में नवास पर आधारित आरक्षण, आरक्षण नीतियों के सामाजिक-आर्थिक और कानूनी नहितार्थ, बेरोजगारी

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यों?

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य नजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नयोजन अधनियम, 2021 में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है, जसमें 40,000 रुपए तक के वेतन वाले नजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लयि 75% आरक्षण अनविर्य था।

- यह कानून स्थानीय लोगों के लयि रोजगार को बढ़ावा देने के लयि लाया गया था, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण इसकी आलोचना की गई।

नजी क्षेत्र में नयोजन अधनियम पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या है?

- लघु उद्योगों द्वारा याचिका: झारखंड लघु उद्योग संघ (JSSIA) ने स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जसमें तर्क दिया गया कयिह समानता के सिद्धांत और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
- JSSIA का प्रतिनिधित्व करने वाले अधविकताओं ने तर्क दिया कयिह अधनियम स्थानीय और गैर-स्थानीय उम्मीदवारों के बीच अनुचित रूप से वभिजन उत्पन्न करता है, तथा नयिकताओं की स्वतंत्र रूप से नयिकता करने की क्षमता को सीमित करता है।
- याचिका में पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरयाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार अधनियम, 2020 को रद्द करने का हवाला दिया गया, जसि पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय ने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था।
- झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: झारखंड हाईकोर्ट ने नजी क्षेत्र की कंपनी में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य नयोजन अधनियम, 2021 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।
- न्यायालय ने JSSIA की इस दलील को सही पाया कयिह कानून गैर-स्थानीय उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करके [अनुच्छेद 14](#) के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही नजी कंपनियों के नयिकता विकल्पों को प्रतिबंधित करके [अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#) के तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के अधवास आधारित आरक्षण कानून:

- आंध्र प्रदेश: उद्योगों/कारखानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लयि आंध्र प्रदेश रोजगार अधनियम, 2019 पारित किया गया (स्थानीय नवासियों के लयि नजी उद्योगों में 75% नौकरियों आरक्षणित हैं)।
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कयिह कानून “असंवैधानिक हो सकता है” लेकिन अभी तक इस पर अंतिम नरिणय नहीं दिया गया है।
- कर्नाटक: उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लयि कर्नाटक राज्य रोजगार वधियक, 2024 को मंजूरी दी गई, जसमें वभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन भूमिकाओं में स्थानीय लोगों के लयि 50% और गैर-प्रबंधन पदों पर 75% आरक्षण का प्रावधान है।
- इस वधियक पर काफी ववाद बना हुआ है तथा शर्मकों की गतशीलता और व्यवसाय संचालन पर इसके प्रभाव को लेकर चतिएँ व्यक्त की गई हैं।

राज्य नजी क्षेत्र के रोजगार में नविस पर आधारति आरक्षण क्यों लागू करते हैं?

- स्थानीय लोगों में उच्च बेरोजगारी: कई राज्यों में स्थानीय लोगों, को विशेष रूप से नमिन और अर्द्ध-कुशल पदों पर, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
- स्थानीय नयोजन कानूनों को नविसयों को रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है।
- प्रवासी श्रमिक के कारण रोजगार में कमी: यह धारणा बढ़ती जा रही है कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक स्थानीय लोगों के लिये निर्धारित रोजगार छीन रहे हैं।
- इससे विशेष रूप से अधिक औद्योगिक और आर्थिक रूप से उन्नत क्षेत्रों में असंतोष बढ़ता है।
- राज्य रोजगार प्राथमिकता: नजी क्षेत्र, एक प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता के रूप में, स्थानीय लोगों को रोजगार के लिये प्राथमिकता देकर सामाजिक न्याय का समर्थन कर सकता है, खासकर तब जब इसे कर रियायतों और सस्ते ऋणों जैसे सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ मिलता है, जो सकारात्मक नीतियों को उचित ठहराता है।
- राजनीतिक दबाव और वोट बैंक: राज्य सरकारों को स्थानीय आबादी से अपने हितों को प्राथमिकता देने के लिये दबाव का सामना करना पड़ता है। आरक्षण कानून लागू करना मतदाताओं की भावनाओं को खुश करने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने का एक तरीका हो सकता है।
- कौशल बेमेल और शिक्षा स्तर: स्थानीय लोगों में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिये कौशल की कमी हो सकती है, जिससे उनके अवसर सीमित हो सकते हैं।
- इस कौशल असंतुलन को दूर करने तथा कम शक्ति आबादी को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कम वेतन वाली नौकरियों के लिये कोटा शुरू किया गया है।
- प्रतभि को बनाए रखना: यह सुनिश्चित करके कि स्थानीय नविसयों को नौकरियों तक पहुँच प्राप्त हो, राज्य क्षेत्र के भीतर प्रतभि को बनाए रख सकते हैं। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ प्रतभि पलायन हो रहा है, जहाँ कुशल कर्मचारी बेहतर अवसरों के लिये कहीं और चले जाते हैं।

नविस पर आधारति आरक्षण क्या है?

- नविस पर आधारति आरक्षण: यह प्रणाली व्यक्तियों के नविस स्थान के आधार पर लाभ आरक्षण करती है। राज्य शिक्षा और सार्वजनिक नौकरियों जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए नविसयों के लिये कुछ सीटें आवंटित कर सकता है।
 - "जन्म स्थान" और "नविस" अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, जसिमें नविस का तात्पर्य किसी व्यक्तियों के जन्मस्थान के बजाय उसके नविस स्थान से है।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 16(3), संसद द्वारा निर्धारित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भीतर सरकारी नयुक्तियों के लिये नविस-आधारित मानदंड की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 371(d) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थानीय कैंडर की स्थापना करता है, जसिसे सरकारी नौकरियों में स्थानीय प्रतनिधित्व और अवसर सुनिश्चित होते हैं।
- अनुच्छेद 15 केवल जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, नविस के आधार पर नहीं।
- ऐतिहासिक नरिणय:
 - 1955: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अधविस-आधारित आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा, जसिमें कहा गया कि अपने नविसयों को लाभ पहुँचाना राज्य का वैध हति है।
 - 1984: सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः अधविस-आधारित आरक्षण को बरकरार रखा तथा इस बात पर बल दिया कि यह अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण के दायरे में आता है, जब तक कि यत्नमानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है या दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।
- नविस पर आधारति आरक्षण से जुड़ी समस्याएँ: अधविस-आधारित आरक्षण से योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जसिके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य प्रदर्शन में कमी आ सकती है।
 - क्षेत्रीय पहचान पर जोर देने से वभिजन को बढ़ावा मिल सकता है तथा स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ सकता है, जसिसे राष्ट्रीय एकीकरण कमजोर हो सकता है।
 - जनि प्रवासियों ने अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें अनुचित रूप से अवसरों से वंचित किया जा सकता है।
 - नविस के मानदंडों में हेरफेर किया जा सकता है, जसिसे आरक्षणित सीटों या पदों के आवंटन में शोषण और पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है।
 - आरक्षण पर नरितर नरिभरता शिक्षा और कौशल विकास की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों को कमजोर कर सकती है, जो सशक्तीकरण के लिये अधिक सतत् समाधान हैं।
 - नविस पर आधारति आरक्षण अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वफिल हो सकता है, जहाँ धनी या अधिक शक्ति स्थानीय नविसी उसी क्षेत्र के गरीब, हाशिये पर पड़े समूहों की तुलना में अधिक लाभान्वित होते हैं।

आगे की राह:

- रोजगार संतुलन: एक नषिपक्ष तंत्र स्थापित करना जहाँ स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों उम्मीदवार रोजगार के लिये प्रतसिपर्द्धा कर सकें, क्षेत्रीय बेरोजगारी के मुद्दों का समाधान करते हुए योग्यता आधारित नयुक्तियों को बढ़ावा देना।
 - नीतियों को कार्यबल एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, तथा राज्य की सीमाओं की परवाह किये बिना सभी नागरिकों के लिये आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये।
- कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना: स्थानीय लोगों के लिये शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में नविश करना ताकि उन्हें रोजगार के प्रतअधिक प्रतसिपर्द्धी बनाया जा सके तथा प्रतबिधात्मक आरक्षण की आवश्यकता कम हो।

- **स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करना:** सख्त आरक्षण सीमा लागू करने के बजाय, नजीक क्षेत्र के उद्यमों को कर छूट या सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन देकर स्थानीय भरती को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करना, ताकि नियोजिता स्थानीय प्रतभा और गुणवत्ता के आधार पर नरिणय ले सकें ।
- **श्रम अधिकारों को सुनश्चिति करना:** राज्यों को प्रवासियों सहति सभी श्रमकों के लिये बुनयिादी श्रम अधिकारों को लागू करना चाहयि, ताकि उचति वेतन और सामाजकि सुरक्षा सुनश्चिति हो सके और स्थानीय एवं प्रवासी दोनों श्रमकों के लिये समान अवसर उपलब्ध हो सकें ।

दृषटिमुख्य परीक्षा परश्न:

परश्न: भारत में नविस पर आधारति आरक्षण के कानूनी प्रावधानों का वशिलेषण कीजयि । क्या ये कानून कषेत्रीय बेरोज़गारी को संबोधति करते हैं, या नई चुनौतियिं उत्पन्न करते हैं? चर्चा कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के परश्न

??????????:

परश्न: प्रच्छन्न बेरोज़गारी का आमतौर पर अर्थ होता है- (2013)

- बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहते हैं
- वैकल्पकि रोज़गार उपलब्ध नहीं है
- श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है
- श्रमकों की उत्पादकता कम है

उत्तर:(c)

??????????:

परश्न: भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृतिमें संरचनात्मक है । भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियिं का परीक्षण कीजयि और सुधार के सुझाव दीजयि । (2023)